Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 8, Issue 1 | May. 2020 - October 2020 | pp. 102-104

17वीं लोकसभा आम चुनाव 2019 : एक अध्ययन

डॉ. श्रवण कुमार सैनी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया एक अनिवार्य और आवश्यक गतिविधि होती है। इस दृष्टि से भारत में लोकसभा चुनाव विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक गतिविधि है, जिस पर सम्पूर्ण विश्व की नजर रहती है। भारत में नये संविधान के लागू होने के बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए, तब से लेकर वर्तमान तक 17बार सफलतापूर्वक चुनाव हो चुके हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता को इंगित करते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव अप्रेल/मई 2019 में कुल 7 चरणों में सम्पन्न हुए इनमें 90 करोड़ के लगभग मतदाता पंजीकृत थे, 8000 से अधिक उम्मीदवारों ने, 50 से अधिक राजनीतिक दलों ने और तीन गठबंधनों ने भाग लिया। इस चुनाव में 67.11 प्रतिशत मतदान हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सर्वाधिक 353 सीटों के साथ 45 प्रतिशत मत प्राप्त हुए और अकेले बीजेपी को 303 सीटें और 37.43 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जो कि बहुमत 272 से अधिक है। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि 1984 के चुनाव के बाद पहली बार किसी पार्टी को इतनी सीटें प्राप्त हुई। इस चुनाव में राष्ट्रीय दल मजबुत बनकर उभरे और क्षेत्रीय पार्टीयां कमजोर हुई। इस चुनाव में महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई। इस चुनाव में कुल 78 महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। इस लोकसभा की औसत आयु 55 वर्ष है जो कि पूर्व में 54 वर्ष थी। इस लोकसभा में कुल 159 सांसद अर्थात 43 प्रतिशत सांसद ऐसे जीत कर आये जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। 17 वीं लोकसभा में 88 प्रतिशत सांसद करोड़पति थे इस चुनाव में भारत में वंशवाद की राजनीति को धक्का लगा, भारतीय राजनीति में परिवारवाद का प्रभाव खत्म हुआ।

संकेताक्षर : *राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय दल, आपराधिक पृष्ठभूमि*

प्रस्तावना

भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण संसद की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था में निर्णायक भूमिका होती है और संसद के दोनों सदनों में लोकसभा अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह एक लोकप्रिय सदन है जिसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। इसलिए यह सदन राज्य सभा में अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकमत 552 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघराज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और यदि आंग्लभारतीय समुदाय को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को लोक सभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिनमें 543 का निर्वाचन होता है और 02 सदस्य आंग्लभारतीय समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इस सदस्य-संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार किया गया है और 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

लोकसभा सदस्यों का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम निर्वाचन 1952 में सम्पन्न हुआ और 02 अप्रेल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। तब से लेकर अब तक लोकसभा

के 17 चुनाव हो चुके हैं। 17 वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च 2019 को जारी हुई और चुनाव 11 अप्रेल से 19 मई के बीच कुल 07 चरणों में सम्पन्न हुए।

1952 के प्रथम आम चुनाव में जहां 173212343 मतदाता पंजीकृत थे वहीं 17वीं लोकसभा में 90 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। जिनमें 46.8 करोड़ पुरूष, 43.2 करोड़ महिला तथा 38325 ट्रांसजेण्डर थे। मतदाताओं की संख्या के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा चुनाव था। सम्पूर्ण चुनाव ई.वी.एम. से करवाये गये तथा ई.वी.एम. हेकिंग के संदेह को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने ई.वी.एम. के साथ वी.वी. पैट (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रोल) का पहली बार प्रयोग किया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके। इस चुनाव में सभी उम्मीदवारों को अपनी सम्पति और शिक्षा का ब्यौरा देना भी अनिवार्य किया गया।

इस चुनाव में 8000 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया और 50 से अधिक राजनैतिक दलों ने चुनाव लड़ा जिनमें 7 राष्ट्रीय दल थे। इसके अलावा तीन मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में थे। जिनमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) मुख्य गठबंधन था जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस गठबंधन में बीजेपी के अलावा शिवसेना, अपना दल, जनता दल (यू), लोकजनशक्ति पार्टी, शिरोमणी अकाली दल, ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम, आल झारखण्ड स्टूडेण्ट्स यूनियन, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, नागा पीपुल्स फ्रंट आदि दल शामिल थे।

दूसरा गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA था जिसमें कांग्रेस के अलावा डी.एम.के., एन.सी.पी., इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेन्स, जनता दल, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि दल शामिल थे। तीसरा गठबंधन महागठबंधन था जिसमें समाजवादी पार्टी, बुहजनसमाज पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शामिल थी।

भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चनाव लड़ा और 'अबकी बार फिर मोदी सरकार' का नारा दिया तथा कांग्रेस के 'चौकीदार चोर' के प्रतिउत्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'मैं भी चौकीदार' का नारा दिया। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी वादे के रूप में मतदाताओं के समक्ष अपनी 'न्याय योजना' पेश की जिसके तहत गरीबों को 7200 रूपये प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हेट स्पीच के कारण चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाते हुए योगी आदित्यनाथ, आजम खान, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेनका गांधी के प्रचार करने पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाये। पश्चिमी बंगाल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़े जाने व हिंसा होने के कारण चुनाव प्रचार को निर्धारित तिथि से पूर्व ही रोक दिया।

सम्पूर्ण चुनाव शांतिपूर्ण हुए, चुनाव में कुल 67.11% मतदान हुआ, 23 मई 2019 को मतगणना हुई। मतगणना में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि ई.वी.एम. से 50% वी.वी.पैट की पर्चियों का मिलान किया जाये। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए आदेश दिया कि प्रत्येक विधानसभा वार रेण्डमली 5 बूथों की इ.वी.एम. से उनकी वी.वी.पैट की पर्चियों का मिलान किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा के पांच बूथों की वी.वी.पैट की पर्चियों की गणना की गई। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में किसी भी बूथ के इ.वी.एम. और वी.वी.पैट की पर्चियों में अन्तर नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप इ.वी.एम हैकिंग का विवाद समाप्त हो गया और चुनाव प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी हुई।

17वीं लोकसभा में दलवार प्राप्त सीटें

भारतीय जनता पार्टी- 303	बहुजन समाज पार्टी- 10	जनता दल- 01
कांग्रेस- 52	तेलंगाना राष्ट्र समिति-09	AIDMF- 01
डी.एम.के.- 23	नेशलिस्ट कांग्रेस पार्टी-05	अन्य- 40
तृणमूल कांग्रेस- 22	समाजवादी पार्टी- 05	
वाई एस आर कांग्रेस- 22	CPI (M)- 03	
जनता दल- 16	आप- 01	

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को सर्वाधिक 353 सीटों के साथ 45% मत प्राप्त हुए और इस गठबंधन की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट और 37.43% मत प्राप्त हुए। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर पर बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त हो गई। 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें और 31.34% मत मिले थे, इस प्रकार इस चुनाव में बीजेपी के मत प्रतिशत में 6.06% की वृद्धि हुई। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) को 92 सीटें और 26% मत प्राप्त हुए। UPA की मुख्य पार्टी कांग्रेस को 52 सीटें और 19.51% मत प्राप्त हुए। यद्यपि इन चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई लेकिन

उसके मतप्रतिशत में 2014 के चुनाव के मुकाबले में वृद्धि हुई। 17 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। गैर-हिन्दू आबादी वाले राज्यों जैसे-पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैण्ड, गोवा आदि में कांग्रेस को अधिक सीटें और मत प्राप्त हुए। इन चुनावों में वामपंथी दलों की इतिहास की सबसे बड़ी हार हुई, उन्हें केवल 03 सीटें और 2.6% मत ही प्राप्त हुए।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी 17वीं लोकसभा महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में कुल 719 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिनमें से 78 महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा पंहुची जो लोकसभा में अब तक की सर्वाधिक संख्या हैं। इस बार महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का 14.8 प्रतिशत है जो आजादी के बाद सर्वाधिक है। इस चुनाव में 267 सांसद पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 17वीं लोकसभा 16वीं लोकसभा की तुलना में अधिक युवा है। 16वीं लोकसभा में सांसदों की औसत आयु 55 वर्ष थी वहीं 17वीं लोकसभा की औसत आयु 54 वर्ष है। उड़ीसा से चुनाव जीतकर आयी चन्द्राणी मुर्मू 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है जो 25 वर्ष 11 माह की उम्र में सांसद बनी।

17वीं लोकसभा में भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता देखने को नहीं मिलेगें क्योंकि भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, एच.डी. देवगोड़ा, मलिकार्जुन खडगे आदि ने चुनाव नहीं लड़ा। 16वीं लोकसभ की स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनाव नहीं लड़ने के कारण स्पीकर पद रिक्त हो गया, जिनके कारण डॉ. विरेन्द्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया जो 6 बार लोकसभा सदस्य रहे है। प्रोटेम स्पीकर ने पूर्णकालिक स्पीकर के निर्वाचन तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया और लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवायी।

17वीं लोकसभा में 159 सांसद अर्थात 43% ऐसे सांसद जीतकर संसद पंहुचे है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले विचाराधीन है। बी.जे.पी. के 116 सांसदों तथा कांग्रेस के 29 सांसदों पर विभिन्न प्रकार के मामले न्यायालय में विचाराधीन है। केरल के ईडुकी से सांसद डीन कुरियाकोस ऐसे सांसद है जिनके खिलाफ 204 मामले विचाराधीन है। इस लोकसभा में 88% सदस्य करोड़पति है 542 में से 475 सांसद करोड़पति हैं। बी.जे.पी. के सर्वाधिक 265 सांसद करोड़पति है और कांग्रेस के 43 सांसद करोड़पति है एवं 27 सांसद मुस्लिम है। सर्वाधिक 49 मुस्लिम सांसद 1980 के चुनाव में लोकसभा पहुंचे थे।

1989 के चुनावों से जहां लगातार भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका निरन्तर बढ़ रही थी और राष्ट्रीय दल सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के सहयोग पर निर्भर थे। 17वीं लोकसभा चुनाव की विशेष बात यह भी रही कि इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों की सीटों और मत-प्रतिशत में काफी कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम हो गई। और राष्ट्रीय दलों को स्पष्ट बहुमत मिलने से राजनैतिक स्थिरता स्थापित हुई और केन्द्र की सरकार कठोर और नीतिगत निर्णय लेने मे सक्षम हुई।

निष्कर्ष

इस चुनाव की एक विशेष बात यह भी रही कि इस चुनाव से भारत में वंशवाद की राजनीति को धक्का लगा। परिवार-वाद की राजनीति का प्रभाव खत्म हुआ। गांधी-परिवार, सिंधिया-परिवार, मुलायम-परिवार, लालू-परिवार, चौधरी चरण सिंह-परिवार, चौटाला-परिवार, देवगोडा-परिवार आदि सब हाशिये पर चले गये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कश्यप, सुभाष, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली
2. कश्यप, सुभाष, संसदीय प्रक्रिया, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
3. बसु, दुर्गा दास, भारत का संविधान, वागवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
4. राजस्थान पत्रिका, मई 2019
5. दैनिक भास्कर, मई 2019
6. हिन्दूस्तान टाईम्स मई, 2019
7. इंण्डिया टुडे, मई 2019
8. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट अमरउजाला डॉट कॉम
9. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट खबर एनडीटीवी डॉट कॉम
10. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम
11. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नवभारत टाइम्स डॉट कॉम
12. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हिन्दीनैस 18 डॉट कॉम
13. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट विकीपीडिया डॉट ओर्ग
14. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ईसीआई डॉट गोव डॉट इन
15. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लोकसभा डॉट एनआईसी डॉट इन